रामसहाय बनाम सरकार मु.नं. 142/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15/2/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.3.24 को पेश होवे।	
14.3.24	पत्रावली पेश। उक्त अपील प्रकरण अपील संख्या 108/23 कन्हैयालाल बनाम सरकार के साथ कन्सोलिडेट किया जावे। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
4.4.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध संसोधित निर्णय एवं संसोधित प्राथमिक डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस प्रकरण दावा संख्या 1342/2002 उनवानी कजोड़मल आदि बनाम मु. सोनी आदि दिनांकित 14.08.2023

अपील संख्या 142/2023

1 रामसहाय पुत्र स्व. गोरूराम
2 संतोष पुत्री स्व. गोरूराम
3 सुवा पुत्री स्व. गोरूराम
4 संतोष पत्नी स्व. घासीराम
5 सुनील पुत्र स्व. घासीराम
6 सुरेश पुत्र स्व. घासीराम
7 राजेन्द्र पुत्र स्व. घासीराम
8 विमला पुत्री स्व. घासीराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बलोदावाली तन कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 कजोड़मल
2 रामदेव
3 सांवरमल
4 सोहनलाल
5 रतनलाल पुत्रगण स्व. जवाना जाति जाट निवासीगण ढाणी लूणावाली तन कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
6 ज्याना
7 कमला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 प्रभाती
9 भागवती
10 सुशीला पुत्रियां जवाना समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी लूणावाली तन कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
11 प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
12 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध संसोधित निर्णय एवं संसोधित प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस प्रकरण संख्या 1342/2002 उनवानी कजोड़मल बनाम सोनी देवी दिनांकित 14.08.2023

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील संख्या 109/2023

1 कजोड़मल
2 रामदेव
3 सांवरमल
4 सोहनलाल
5 रतनलाल पुत्रगण जवाना समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी लूणावाली तन कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 सन्तोष पुत्र गोरूराम
2 सुवा पुत्री गोरूराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

उपस्थिति :

3. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
4. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 4/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 1345/2002 व 1342/2002 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। चारों अपीलें में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के निर्णय में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से चारों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति चारों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 104, 183, 184, 185, 186, 576, 577, 585, 586, 587, 647, 651, 652 के संदर्भ में विभाजन के पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत किये गये। वादी कजोड़ आदि द्वारा सोनी देवी आदि के विरूद्व प्रस्तुत वाद संख्या 1342/2002 के साथ में सोनी देवी आदि बनाम कजोड़ आदि का प्रस्तुत वाद संख्या 1345/2002 में दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 576, 577, 585, 586, 587, 647, 651, 652 के संदर्भ में अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा दोनों वादों को समेकित किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 03.08.2022 से मुताबिक पारिवारिक समझौता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता कमल कुमार के एतराज पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 14.08.2023 को संसोधित डिक्री जारी की। दिनांक 14.08.2023 को जारी संसोधित डिक्री के विरूद्ध उभयपक्ष की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 142/2023 एवं 141/2023 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/रेस्पोडेन्ट श्री सांवरमल ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा किस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री पारित की गई वह विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी कानूनी प्रावधान के तहत पोषणीय नहीं था तथा न ही विचारण न्यायालय अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री के ऐसी किसी कानूनी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांकित 14.08.2023 विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर पारित की गई होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है उस प्रार्थना पत्र के सरसरी अवलोकन मात्र से यह प्रमाणित है कि विचारण न्यायालय द्वारा संशोधित निर्णय व डिक्री में जिस आशय का अनुतोष प्रदान किया गया है उक्त आशय का अनुतोष उक्त प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति में नहीं चाहा गया था, इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री चाहे अनुतोष के अन्यथा जाकर पारित की हुयी होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री का आधार अपीलाधीन वाद के साथ प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2023 को अवैध रूप से बनाया गया है, इस कारण भी अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी करते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों दस्तावेजों एवं कानूनी स्थिति का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। वर्तमान में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 8 बसाजिश रेस्पोडेन्ट संख्या 10 अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री कि कियान्विति की आड़ में अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री में वर्णित विवादित भूमियों का मनमाना विभाजन प्रस्ताव बनाकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

करवाने तथा विचारण न्यायालय से मनमाने विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करवाकर उपरोक्त भूमियों के मनमाने भू–भाग पर कब्जा करने तथा अन्यत्र हस्तान्तरित प्रभारित करने पर अमादा फसाद हो रखे है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांकित 14.08.2023 अपास्त की जावें। अपीलांट रामसहाय द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री के स्थान पर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। विधि अनुसार प्राथमिक डिक्री के बिना अंतिम डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। फलतः रामसहाय की अपीले खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2013(2) राज पेज 725 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/अपीलान्ट श्री विनोद कुमार सरोज ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सोनी देवी बनाम कजोड़ आदि में अंकित कृषि भूमि की अदला बदली दिनांक 06.06.83 को किया जाकर उसी के अनुसार कब्जा काश्त किये जाने बाबत अंकित किया गया। उक्त लिखावट के अनुसार अलमशहुर खेत बीड खसरा नम्बर 104 व भूमि खसरा नम्बर 183, 184, अलमशहुर खेत ढाणीवाला व बाड़ा खसरा नम्बर 185, 186 का हिस्सा 1/2 रकबा 1.70 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 171, 210, 529, 531 से 533, 535 से 539, 541 से 545 कुल किता 16 कुल रकबा 8.79 का हिस्सा 1/4 रकबा 2.19 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि 1.70 हैक्टेयर +2.19 हैक्टेयर कुल 3.89 हैक्टेयर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को दिया जाना अंकित किया गया व इसके बदले में अपीलान्टस को भूमि खसरा न म्बर 576, 577, 585, 586, 587, 647, 651, 652 हिस्सा 1/2 रकबा 3.93 हैक्टेयर अलमशहुर उदा बाबावाली जमीन प्राप्त हुई। उक्त लिखावट के अनुसार ही अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त लिखावट की ताईद तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.01.2003 को बनायी गयी फर्द मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उनवानी प्रकरण सोनी देवी नाम कजोड़ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दिनांक 25.01.2003 को मौका निरिक्षण कर प्रस्तुत रिपोर्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलान्टस द्वारा दिनांक 06.06.1983 को की गई लिखावट के अनुसार होने के बावजुद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में उक्त लिखावट का अंकन नही कर भारी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कृषि भूमि का पूर्व में दिनांक 06.06.1983 की लिखावट के अनुसार बंटवारा हो जाने व तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.01.2003 को मौका निरीक्षण किया जाकर उक्त लिखावट के अनुसार पक्षकारान काबिज होने बाबत रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध होने के बावजुद विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री उक्त पूर्व बंटवारे अनुसार नहीं की जाकर भारी भुल कारित की है। विचारण न्यायालय को प्रारम्भिक डिक्री का आदेश जारी नहीं किया जाकर उक्त प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अंतिम डिक्री के स्थान पर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 06.06.1983 को जरिये लिखावट उक्त भूमियों की अदला बदली कर बाहमी बंटवारा कर लिया गया। उक्त बाहमी बंटवारा किये जाने के पश्चात अपने हिस्से में आयी अपनी कृषि भूमियों में जवानाराम द्वारा दिनांक 27.12.86 को कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन किया जाकर विद्युत कनेक्शन लिया गया। इसी प्रकार गोरूराम द्वारा दिनांक 30.05.1985 को कृषि कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग के यहां आवेदन किया जाकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया। उक्त विद्युत कनेक्शन रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट द्वारा उक्त लिखावट के अनुसार आयी भूमियों में लिये गये है। विचारण न्यायालय में बाहमी बंटवारा दिनांक 06.06.1983 को हो जाने व उसके अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त होने के कारण विचारण न्यायालय को उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने के स्थान पर अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु आदेशित किया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कृषि भूमियों का बंटवारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व बंटवारे को ताईद करते हुए उसी अनुसार निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारा पूर्व में हो जाने व उसी अनुसार पक्षकारान को काबिज होना मानते हुए निर्णय पारित किया है। लिखावट के अनुसार पक्षकारान काबित होने व उसी के अनुसार आयी कृषि भूमियों के विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन लिये जाने का तथ्य रिकार्ड पर होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार अंतिम डिक्री के स्थान पर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित कर कानूनी भूल कारित की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जावें। अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.08.2023 को निरस्त कर अंतिम डिक्री इस आशय की पारित करें की 'कृषि भूमि खसरा नम्बर 171, 210, 529, 531 से 553, 535 से 539, 541 से 545 कुल किता 16 कुल रकबा 8.79 का हिस्सा 1/4 रकबा 2.19 हैक्टेयर भूमि तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 104, 183, 184, 185, 186 कुल किता 5 कुल रकबा 3.40 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 भाग अर्थात 1.70 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल भूमि रकबा 2.20 + 1.70 हैक्टेयर कुल 3.90 हैक्टेयर भूमि वादीगण कजोड़मल, रामदेव, सांवरमल, सोहनलाल, रतनलाल, पुत्रगण स्व. जवाना, ज्याना, कमला, प्रभाती, भागवती, सुशीला पुत्रियां स्व. जवाना समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी लूणावाली तन कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को उनके विधिक हिस्से अनुसार तथा कृषि भूमि 576, 577, 585, 586, 587, 647, 651, 652 कुल किता 8 कुल रकबा 7.87 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा जो जवाना पुत्र उदा के नाम दर्ज है अर्थात 3.93 हैक्टेयर भूमि में से उक्त हिस्सा 1/2 व पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 सोनी देवी पत्नी गोरू व प्रतिवादी संख्या 2 घासीराम पुत्र गोरू व प्रतिवादी संख्या 3 रामसहाय पुत्र गोरू प्रत्येक के नाम 1/6– 1/6 अर्थात सम्पूर्ण भूमि के कुल 1/2 हिस्सा का जोड़ते हुए सम्पूर्ण भूमियों का प्रतिवादीगण संतोष, सुवा, पुत्रियां स्व. गोरूराम संतोष देवी पत्नी स्व. घासीराम, सुनील, सुरेश, राजेन्द्र पुत्रगण स्व. घासीराम विमला पुत्री स्व. घासीराम व रामसहाय पुत्र गोरू समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बलोदावाली तन कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नाम राजस्व रिकार्ड में विधिक हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट रामसहाय द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 141/2023 एवं 142/2023 में प्रस्तुत आवेदन धारा 5 को स्वीकार किया जाकर अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय दिनांक 14.08.2023 से वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक लिखावट दिनांक 06.06.1983 व 10.06.1998 के आधार पर संशोधित डिक्री जारी कर विभाजन के निर्देश दिये गये है। इस पारिवारिक बाहमी विभाजन की लिखावट की पुष्टि तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका रिपोर्ट 25.01.2003 से होती है। अपीलांट कजोड़ वगै. की आपत्ति है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2022 के जारी प्राथमिक डिक्री विधि अनुसार पारित की गई थी। इसके उपरांत विधि विरूद्ध रूप से विचाराधीन संशोधित डिक्री पारित की गई है। अतः अपील स्वीकार कर संशोधित डिक्री का आदेश अपास्त किया जावें।

इस संदर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रालवी का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सोनी देवी बनाम कजोड़ आदि में अंकित कृषि भूमि की अदला बदली दिनांक 06.06.83 को किया जाकर उसी के अनुसार कब्जा काश्त किये जाने बाबत अंकित किया गया है। इस लिखावट के अनुसार अलमशहुर खेत बीड खसरा नम्बर 104 व भूमि खसरा नम्बर 183, 184, अलमशहुर खेत ढाणीवाला व बाड़ा खसरा नम्बर 185, 186 का हिस्सा 1/2 रकबा 1.70 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 171, 210, 529, 531 से 533, 535 से 539, 541 से 545 कुल किता 16 कुल रकबा 8.79 का हिस्सा 1/4 रकबा 2.19 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि 1.70 हैक्टेयर +2.19 हैक्टेयर कुल 3.89 हैक्टेयर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को दिया जाना अंकित किया गया व इसके बदले में अपीलान्टस को भूमि खसरा नम्बर 576, 577, 585, 586, 587, 647, 651, 652 हिस्सा 1/2 रकबा 3.93 हैक्टेयर अलमशहुर उदा बाबावाली जमीन प्राप्त हुई। इस लिखावट के अनुसार ही अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त चले आ रहे है। इस लिखावट की ताईद तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.01.2003 को बनायी गयी फर्द मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उनवानी प्रकरण सोनी देवी नाम कजोड़ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दिनांक 25.01.2003 को मौका निरिक्षण कर प्रस्तुत रिपोर्ट अपीलान्टस द्वारा दिनांक 06.06.1983 को की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गई लिखावट के अनुसार होने के बावजुद विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में इस लिखावट के अनुसार अंतिम डिक्री जारी नही कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कृषि भूमि का पूर्व में दिनांक 06.06.1983 की लिखावट के अनुसार बंटवारा हो जाने व तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.01.2003 को मौका निरीक्षण किया जाकर उक्त लिखावट के अनुसार पक्षकारान काबिज होने बाबत रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध होने के बावजुद विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री उक्त पूर्व बंटवारे अनुसार नहीं की जाकर विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 06.06.1983 को जरिये लिखावट उक्त भूमियों की अदला बदली कर बाहमी बंटवारा कर लिया गया। उक्त बाहमी बंटवारा किये जाने के पश्चात अपने हिस्से में आयी अपनी कृषि भूमियों में जवानाराम द्वारा दिनांक 27.12.86 को कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन किया जाकर विद्युत कनेक्शन लिया गया। इसी प्रकार गोरूराम द्वारा दिनांक 30.05.1985 को कृषि कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग के यहां आवेदन किया जाकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया। उक्त विद्युत कनेक्शन रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट द्वारा उक्त लिखावट के अनुसार आयी भूमियों में लिये गये है। विचारण न्यायालय में बाहमी बंटवारा दिनांक 06.06.1983 को हो जाने व उसके अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त होने के कारण विचारण न्यायालय को उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने के स्थान पर अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु आदेशित किया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कृषि भूमियों का बंटवारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व बंटवारे को ताईद करते हुए उसी अनुसार निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारा पूर्व में हो जाने व उसी अनुसार पक्षकारान को काबिज होना मानते हुए निर्णय पारित किया है। लिखावट के अनुसार पक्षकारान काबित होने व उसी के अनुसार आयी कृषि भूमियों के विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन लिये जाने का तथ्य रिकार्ड पर होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार अंतिम डिक्री के स्थान पर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित कर विधिक त्रुटि की है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट कजोड़ आदि की ओर से विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष पारिवारिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लिखावट दिनांक 06.06.1983 व 10.06.1998 व मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 25.01.2003 का कोई खण्डन नहीं किया गया है। पारिवारिक लिखावट पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है। सभी पक्षकार पारिवारिक लिखावट से स्टोप्ड है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी विचाराधीन डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.09.2023 पत्रावली में संलग्न है। इन विभाजन प्रस्तावों के अनुसार ही पारिवारिक लिखावट दिनांक 06.06.1983 व 10.06.1998 व मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 25.01.2003 की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी नहीं कर अंतिम डिक्री ही जारी की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। फलस्वरूप अपीलांट रामसहाय द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 141/2023 एवं 142/2023 स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अपीलांट कजोड़ द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 109/2023 एवं 108/2023 गुणावगुण पर विवेचन के उपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट कजोड़ द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 108/2023, 109/2023 खारिज की जाती है एवं अपीलांट रामसहाय आदि की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 141/2023 एवं 142/2023 स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर वाद अंतिम रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि 'कृषि भूमि खसरा नम्बर 171, 210, 529, 531 से 553, 535 से 539, 541 से 545 कुल किता 16 कुल रकबा 8.79 का हिस्सा 1/4 रकबा 2.19 हैक्टेयर भूमि तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 104, 183, 184, 185, 186 कुल किता 5 कुल रकबा 3.40 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 भाग अर्थात 1.70 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल भूमि रकबा 2.20 + 1.70 हैक्टेयर कुल 3.90 हैक्टेयर भूमि का वादीगण कजोड़मल, रामदेव, सांवरमल, सोहनलाल, रतनलाल, पुत्रगण स्व. जवाना, ज्याना, कमला, प्रभाती, भागवती, सुशीला पुत्रियां स्व. जवाना समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी लूणावाली तन कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को उनके विधिक हिस्से अनुसार तथा कृषि भूमि 576, 577, 585, 586, 587, 647, 651, 652 कुल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किता 8 कुल रकबा 7.87 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा जो जवीना पुत्र उदा के नाम दर्ज है अर्थात 3.93 हैक्टेयर भूमि में से उक्त हिस्सा 1/2 व पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 सोनी देवी पत्नी गोरू व प्रतिवादी संख्या 2 घासीराम पुत्र गोरू व प्रतिवादी संख्या 3 रामसहाय पुत्र गोरू प्रत्येक के नाम 1/6–1/6 अर्थात सम्पूर्ण भूमि के कुल 1/2 हिस्सा का जोड़ते हुए सम्पूर्ण भूमियों का प्रतिवादीगण संतोष, सुवा, पुत्रियां स्व. गोरूराम संतोष देवी पत्नी स्व. घासीराम, सुनील, सुरेश, राजेन्द्र पुत्रगण स्व. घासीराम विमला पुत्री स्व. घासीराम व रामसहाय पुत्र गोरू समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बलोदावाली तन कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नाम राजस्व रिकार्ड में विधिक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर